



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022023-243788
CG-DL-E-22022023-243788

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 768]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2023/फाल्गुन 3, 1944

No. 768]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2023/PHALGUNA 3, 1944

कोयला मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2023

का.आ. 801(अ).—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा कोयला मंत्रालय में 12 जनवरी, 2011 को जारी, तारीख 22 जनवरी, 2011 को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित का.आ. 226 में भारत सरकार के आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

2. उक्त आदेश में, निबंधन और शर्तें संख्या (5) के पश्चात्, निम्नलिखित निबंधन और शर्तें शामिल की जाएंगी, अर्थात्:-

“(6) खंड (4) के होते हुए भी, सरकारी कंपनी ऐसी निहित कुल भूमि में से खंड (7) में यथा-निर्दिष्ट भूमि के उक्त भाग को, कोयला मंत्रालय में तारीख 22 अप्रैल, 2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. 43022/1/2020-एलएआईआर के जरिए भारत सरकार द्वारा जारी कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर दे सकती है; और

(7) तारीख 12 जनवरी, 2011 के उपर्युक्त आदेश द्वारा उक्त सरकारी कंपनी को कुल **529.24 हैक्टेयर** (लगभग) भूमि निहित की गई थी। कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के तहत जारी और तारीख 10 नवंबर, 2007 को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, तारीख 01 नवंबर, 2007 की अधिसूचना का.आ. 3263 के अनुसार ग्राम-कान्हवा, तहसील-उमरेर, जिला-नागपुर, महाराष्ट्र में **79.40 हैक्टेयर** भूमि

अधिग्रहित की गई थी, जिसमें से ग्राम – कान्हा की 40 हेक्टेयर [प्लॉट संख्या – 6, 7, 14/1, 14/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27/1, 27/2, 28, 29, 38, 39, 40, 47, 48, 49/1, 49/2 और 50] भूमि का उपयोग तारीख 22 अप्रैल, 2022 के नीतिगत दिशा-निर्देशों में उल्लिखित निबंधन और शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन 99 वर्ष की अधिकतम पट्टा अवधि के लिए कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 और अन्य भूमि अधिग्रहण कानूनों के तहत भूमि अधिग्रहण के कारण परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु किया जा सकता है।”

[फा. सं. 43022/06/2022-एलएएण्डआईआर]

भबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

ORDER

New Delhi, the 22nd February, 2023

S.O. 801(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby make the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Coal S.O. 226 issued on 12th January, 2011, published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), dated the 22nd January, 2011 :-

2. In the said Order, after terms and condition number (5), the following terms and condition shall be inserted, namely:-

“(6) Notwithstanding clause (4), the Government company may grant the said part of land as specified in clause (7) out of the total land so vested, on lease to any other person in accordance with the Policy Guidelines for use of land acquired under the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 issued by Government of India in the Ministry of Coal vide OM No. 43022/1/2020-LAIR dated 22nd April, 2022; and

(7) The total **529.24 hectare** (approximately) land was vested to the said Government company vide above Order dated 12th January, 2011. As per Notification S.O. 3263 dated 1st November, 2007 issued under section 9(1) of CBA (A&D) Act, 1957 and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 10th November, 2007, the **79.40 hectare** of land was acquired in villages – Kanwha, Tahsil- Umrer, District- Nagpur, Maharashtra, out of which **40 hectare** land of village-Kanwha [plot numbers -6, 7, 14/1, 14/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27/1, 27/2, 28, 29, 38, 39, 40, 47, 48, 49/1, 49/2 and 50] can be used for rehabilitation and resettlement of project affected families due to acquisition of land under Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 or other land acquisition laws for a maximum lease period of 99 years, subject to fulfillment of the terms and conditions mentioned in the Policy Guidelines dated 22nd April, 2022.”

[F. No. 43022/06/2022-LA&IR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.